Annexure-F

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवम चिकित्सालय शिमला –171001

विशयः- **RTI information/details as requisitioned by Sh. Anil Saraswati R/O Malyana Distt. Shimla regarding list of Free Medicines, Purchase procedure, stock maintenance, distribution system, free dispensary address and timeline fixed for the updation of these details of these medicines on official website/portal of IGMC & H, Shimla as per the online RTI application dated 27.11.20222.**

प्रश्न	उतर
Purchase Procedure	इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उपकरणों एवं दवाईयों को क्रय करने के लिये हिमाचल प्रदेष वितीय नियम–2009 में निहित नियमों का अक्षरषः पालन किया जाता है । संस्थान के अर्न्तगत विभिन्न विभागों द्वारा मांगे गये उपकरणों एवं दवाईयों को प्रारम्भ में प्रदेष सरकार द्वारा गठित विभागीय तकनिकी समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है 1. Advertised tender system. 2. Procurement through approved Rate contract. 3. Limited Tender system. 4. Procurement through Departmental Purchase Committee 5. Single Tender system (Proprietary items) उपरोक्त प्रकिया को अपनाने के उपरान्त क्रय सम्बन्धी मामला प्रदेष सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय क्रय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाता है इसके बाद प्राधिकृत आधिकारियों से स्वीकृति उपरान्त ही कार्यवाही की जाती है । यहां यह कहना भी उल्लेखनीय होगा कि प्रदेष सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई क्रय नीति के अर्न्तगत पारदर्षिता, गुणवता तथा परफॉरमैंस इत्यिादि बिन्दुओं के मध्यनज़र ही विभिन्न उपकरणों एवं दवाईयों को क्रय किया जाता है इंदिरा गाँधी चिकित्सालय शिमला में दवाइयों कि खरीद निम्न वरीयता क्रम के अनुसार कि जा रही है :- 1. राज्य दर अनुबंध । 2. यदि दवाइयां क्रम संख्या । पर उपलब्ध न हो तो केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों की 103 दवाइयों कि सूचि में से 3. यदि कोई दवाइयां क्रम संख्या । व् 2 पर भी उपलब्ध न हो तो इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/ डॉ. आर० पी० जी० एम्० सी० टांडा द्वारा निर्धारित दर अनुबंध के आधार पर । 4. यदि कोई दवाई क्रम संख्या 2 से 3 पर भी उपलब्ध न हो तो यह कर्मचारी राज्य बिमा निगम द्वारा तय कि गई दर अनुबंध पर । 5. यदि कोई दवाई क्रम संख्या 3 से 4 पर भी उपलब्ध न हो तो यह प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से बी० पी० आई० द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

	निर्धारित दर पर । उसके उपरान्त संस्थान उर्पयुक्त नियमों मे निहित नियमानुसार निम्न प्रकार से क्रय करने की प्रकिया को अपनाता है ।

Scanned with OKEN Scanner